अनुसूचित जनजाति विभाग बिहार द्वारा दी गयी योजनायें।

PART III

ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
प्रवेशिकोतर योजना - प्रवेशिकोत्तर योजना एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना है जो उच्च शिक्षा (कक्षा 12 के बाद) प्राप्त करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय योजनाओं के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि और पात्रता अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, बिहार सरकार की ऐसी ही एक योजना के तहत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ₹2,000 से ₹4,00,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।	1. +2/तकनिकी शिक्षा पास (ग्रेजुएशन, या उच्च शिक्षा में नामांकित होना चाहिए) 2. केवल SC, ST, OBC, EBC वर्ग के छात्र पात्र हैं। 3. परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम (SC/ ST), ₹1,50,000 (BC/ EBC) होनी चाहिए। 4. छात्र बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 5. मान्यता प्राप्त विद्यालय/ कॉलेज/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए	• जाति प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • निवासी प्रमाण पत्र • आधार कार्ड • पिछली परीक्षा की मार्कशीट • कॉलेज का बोनाफाइड / प्रवेश प्रमाण पत्र • बैंक पासबुक की प्रति • पासपोर्ट साइज फोटो	जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) विद्यालय/कॉलेज/विश्वविद्यालय

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
विद्यालय छात्रवृति -1 से 12 तक के लिए	1. सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय द्वारा खाता खोला जायेगा और खाते में पैसे भेजे जाते हैं | 2. 1 - 75 % उपस्थिति	• आधार कार्ड • 75 % उपस्थिति • जाति प्रमाण पत्र • बैंक खाता	विद्यालय का शिक्षक (शिक्षा विभाग प्रखंड शिक्षा अधिकारी (समाज कल्याण विभाग)

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेघा छात्रवृति योजना- मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना एक आर्थिक सहायता योजना है, जिसमें बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हो चुकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को उनके अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को ₹15,000 और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को ₹10,000 की छात्रवृत्ति राशि मिलती है। यह राशि छात्रों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है	1. आवेदक छात्र/छात्रा बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए 2. बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हो 3. छात्रा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक वर्ग की होनी चाहिए। 4. छात्रा सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से अध्ययनरत होनी चाहिए 5. बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए 6. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं	• आधार कार्ड • 12वीं कक्षा की मार्कशीट/ प्रमाण पत्र • मैट्रिक (10वीं) प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए) • जाति प्रमाण पत्र • निवास प्रमाण पत्र • बैंक खाता पासबुक या विवरण • जिसमें बैंक खाते की जानकारी हो • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी • पासपोर्ट साइज फोटो • आवेदन फॉर्म (ऑनलाइन भरा हुआ).	जिला कल्याण पदाधिकारी

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
परीक्षा शुक्ल की छतिपूर्ति योजना- SC/ST परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना का मतलब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को परीक्षा शुल्क का भुगतान न करना पड़े या उसका प्रतिपूर्ति मिल सके, ताकि उन्हें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने में मदद मिले। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में ऐसी योजनाएँ हैं जो छात्रों के लिए कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति करती हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने पर प्रोत्साहन राशि देती हैं।	1. आवेदक उस राज्य/जिले का निवासी होना चाहिए जहाँ योजना लागू है 2. छात्र/छात्रा को मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए 3. परीक्षा शुल्क देने वाला कोर्स/परीक्षा उस वर्ष में होना चाहिए जिसमें योजना लागू है 4. सामाजिक या आर्थिक श्रेणी-मानदंड हो सकते हैं - उदाहरण स्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 5. परिवार की वार्षिक आय कुछ निर्धारित सीमा से कम हो सकती है। 6. कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (परीक्षा देने वाला छात्र 10वीं/12वीं/उच्च शिक्षा) रखी गई हो	• जाति प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • निवासी प्रमाण पत्र • आधार कार्ड • पिछली परीक्षा की मार्कशीट • कॉलेज का बोनाफाइड / प्रवेश प्रमाण पत्र • बैंक पासबुक की प्रति • पासपोर्ट साइज फोटो	जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) विद्यालय/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
आवासीय विद्यालय -आवासीय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जहाँ छात्र संस्थान के परिसर में ही रहते हैं, पढ़ते हैं और जिन्हें औपचारिक निर्देश के साथ-साथ नैतिक शिक्षा और रहने की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये स्कूल छात्रों को घर से दूर एक ऐसा वातावरण देते हैं जहाँ वे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और साथ ही जीवन कौशल भी सीखते हैं।	1. छात्र भारत का नागरिक हो 2. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र अनिवार्य 3. मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला होना चाहिए 4. आय प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज मान्य होने चाहिए 5. छात्र नियमित मोड में पढ़ाई कर रहा हो	• जाति प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • आधार कार्ड • बैंक खाता विवरण • पिछली कक्षा की मार्कशीट • संस्थान प्रमाण पत्र	जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) विद्यालय अधीक्षक / प्रधानाचार्य

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
छात्रावास योजना -सरकारी छात्रावास योजना 2025 एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना छात्रों को सुरक्षित और सहायक वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत छात्रों को केवल रहने और खाने की सुविधा ही नहीं मिलती, बल्कि यह उन्हें एक ऐसा वातावरण भी देती है जहाँ वे अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए, जो अक्सर शिक्षा के बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं, यह योजना एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है।	1. छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज में पढ़ रहा होना चाहिए। 2. माता-पिता की सालाना आय तय सीमा से कम होनी चाहिए। जैसे—बिहार मुफ्त छात्रावास योजना 2025 में आय सीमा 3 लाख रुपये है। 3. यह योजना SC, ST, OBC और EWS वर्ग के छात्रों के लिए है। कुछ योजनाएँ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी मिल सकती हैं। 4. छात्र उसी राज्य का रहने वाला होना चाहिए। 5. कुछ योजनाओं में पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक जरूरी होते हैं।	1. आधार कार्ड 2. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए) 3. आय प्रमाण पत्र 4. निवास प्रमाण पत्र 5. शैक्षणिक दस्तावेज (मार्कशीट व एडमिशन प्रूफ) 6. बैंक पासबुक की कॉपी 7. पासपोर्ट साइज फोटो 8. सक्रिय मोबाइल नंबर 9. आवेदन लिंक: https://scstwelfare.bih.nic.in	जिला कल्याण कार्यालय

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना -छात्रों की शिक्षा की ओर भागीदारी को बढ़ाना तथा उन्हें जागरूक करना है। छात्रों की उच्च शिक्षा की और जागरूकता बढ़ाने हेतु तथा उनके अवश्क्ताओ की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाएगा ।योजना के अंतर्गत लाभार्थी छात्र को 1,000/-रुपए प्रति माह का छात्रवास अनुदान प्रदान किया जाएगा।	1. जाति प्रमाण पत्र: आवेदक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2. शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए। 3. योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलता है। 4. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।	• 1.जाति प्रमाण पत्र • 2. आय प्रमाण पत्र • 3. आधार कार्ड • 4.निवास प्रमाण पत्र • 5.बैंक खाता विवरण • वेबसाइट: https://scst-welfare.bih.nic.in	जिला कल्याण पदाधिकारी (District Welfare Officer - DWO)

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
संचालित छात्रावासों में आवासीत छात्र छात्राओं को खादान्न गेंहू एवं चावल उपलब्ध करना -संचालित छात्रावासों में आवासित छात्रों को खाद्यान्न (गेहूं और चावल) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत होती है। **खाद्यान्न की उपलब्धता** 1.खाद्यान्न की मात्रा: इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को हर महीने 15 किलो खाद्यान्न (जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं) मुफ्त में प्रदान किया जाता है 2.वित्तीय सहायता: छात्रों को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है	1. छात्र बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. छात्र को पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। 3. छात्र का नामांकन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में होना चाहिए।	• आधार कार्ड • जाति प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • बैंक पासबुक	जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO)

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
प्राक प्रशिक्षण केंद्र -प्राक् प्रशिक्षण केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जो पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों के छात्रों को सरकारी नौकरियों जैसे सिविल सेवा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य इन वर्गों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर देना है।	1. आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक SC ST जाति से होना चाहिए:- 3. आवेदक तथा उनके माता/पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3,00,000/-रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। 4. आवेदक की आयु उनके लिए गई पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। 5. आवेदक छात्र के पास उनके चयनित कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।	• शैक्षणिक प्रमाण। • जाति प्रमाण पत्र। • जन्म प्रमाण पत्र। • आय प्रमाण पत्र। • आधार कार्ड। • आवेदक की पासपोर्ट • साइज फोटो। • मोबाइल आईडी। • ईमेल आईडी। • आवेदन करे - https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना - उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।	1. जाति प्रमाण पत्र: आवेदक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2. शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा के लिए योग्य होना चाहिए। 3. बिहार का निवासी: योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलता है। 4. आय प्रमाण पत्र: आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। 5. आवेदन करे -scstonline.bihar.gov.in	• आधार कार्ड • निवास प्रमाण पत्र • जाति प्रमाण पत्र • प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी। राज्य सरकार: योजना के संचालन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है। स्थानीय अधिकारी: आवेदकों को योजना के लाभ और सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं।

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
अत्याचार राहत योजना -बिहार के लिए अत्याचार राहत योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों को होने वाले अत्याचारों के पीड़ितों को तत्काल राहत देना है, जिसमें आर्थिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता, रोजगार और बच्चों की शिक्षा जैसी मदद शामिल हैं	1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए। 3. आवेदक के साथ किसी प्रकार का जातिगत अत्याचार, उत्पीड़न, हिंसा, या भेदभाव हुआ हो। जैसे कि:-शारीरिक हिंसा,संपत्ति की क्षति, बलात्कार या यौन उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार,गलत आरोप, जबरन बेदखली या सार्वजनिक अपमान 4. उस अत्याचार की एफ़आईआर (FIR) दर्ज की गई हो - यानी मामला पुलिस में विधिवत दर्ज होना चाहिए। 5. घटना अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज धाराओं में से किसी एक के अंतर्गत आनी चाहिए।	1. आवेदन फॉर्म - जिला कल्याण/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से। 2. जाति प्रमाण पत्र। 3. पहचान पत्र - आधार/ वोटर आईडी/राशन कार्ड। 4. FIR की कॉपी - पुलिस में दर्ज केस की प्रति। 5. मेडिकल/मुआवजा रिपोर्ट (अगर चोट हुई हो)। 6. घटना का विवरण - क्या, कब, कहाँ, कैसे। 7. बैंक पासबुक की कॉपी - राशि खाते में आती है।	थाना विकाश मित्र पुलिस अधीक्षक

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
विकाश मित्र	1. अभ्यर्थी को उस जिले/पंचायत क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहाँ यह विकास मित्र पद व्यक्ति चयनित होने वाला है। 2. शैक्षणिक योग्यता आमतौर पर 5वीं पास से लेकर 10वीं पास तक रखी गई है। 3. आयु सीमा:-18 से 50 4. पद विशेष में यह देखा गया है कि यह भर्ती सामान्य जनता के लिए नहीं बल्कि विशेष-थल (जैसे पंचायती क्षेत्र, महादलित विकास मिशन अंतर्गत) हो सकती है।	• निवासी प्रमाण पत्र (जिस जिले/पंचायत में आवेदन कर रहे हैं) • जाति प्रमाण पत्र (यदि पद-घोषणा में यह शर्त हो) • आयु प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण-पत्र / विद्यालय प्रमाण) • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (5वीं/10वीं पास प्रमाणपत्र) व अंक-पत्र यदि मांगा गया हो • बैंक खाता विवरण (यदि नियुक्ति एवं वेतन भुगतान बैंक खाते माध्यम से हो) • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / अन्य) • हाल-का पास-पोर्ट साइज फोटो	1.फॉर्म प्रखंड/पंचायत स्तर पर मिलेगा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी/नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
सामुदायिक भवन सह - वर्क शेड - शादी विवाह /मुंडन /छठी संस्कार संपन किया जा सके एवं दैनिक कार्य भी किया जा सकें - बौधिक विकास एवं खेल कूद का आयोजन इत्यादि |	1. आवेदक भारतीय नागरिक 2. स्थायी निवासी 3. अगर किसी संस्था, समिति या स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा आवेदन किया जा रहा है, तो संस्था पंजीकृत होनी चाहिए। 4. भूमि पर कोई विवाद या मुकदमा नहीं होना चाहिए। 5. योजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वर्क शेड से समुदाय को कैसे लाभ होगा (जैसे रोजगार सृजन, प्रशिक्षण आदि)।	1. आधार कार्ड / पैन कार्ड 2. जमीन के कागज़ (पट्टा/रजिस्ट्री) 3. लेआउट प्लान 4. भूमि उपयोग प्रमाण 5. पानी/सिवरेज प्रमाण 6. विकास शुल्क प्रमाण 7. पहचान पत्र (वोटर आईडी/पासपोर्ट) 8. अनुमति पत्र (स्थानीय अधिकारी)	पंचायती राज विभाग / समाज कल्याण विभाग 1.ग्राम पंचायत प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) 2.नगर क्षेत्र में: आवेदन नगर परिषद / नगर पालिका / नगर निगम को दिया जाता है।

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
विशेष विद्यालय सह -छात्रावास योजना NGO द्वारा संचालित- नारी गुंजन 150 छात्राओं एवं गया में 100 छात्राओं के शिक्षण की व्यवस्था है	1. स्थानीय प्रशासन या तहसीलदार का सत्यापन प्रमाण पत्र 2. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 3. बच्चा 6 से 18 वर्ष आयु का होना चाहिए। 4. बच्चा दिव्यांग (कम से कम 40% विकलांगता) वाला होना चाहिए — जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से मंद, शारीरिक विकलांग आदि। 5. बच्चा किसी मान्यता प्राप्त विशेष विद्यालय में पढ़ रहा हो या प्रवेश लेना चाहता हो। 6. अभिभावक की आय निर्धारित सीमा से कम हो (अधिकतर ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक, राज्य अनुसार)	• छात्र का जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाणपत्र • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (Disability Certificate) • आय प्रमाणपत्र (BPL कार्ड / तहसील से जारी) • आधार कार्ड / पहचान पत्र • निवास प्रमाणपत्र • स्कूल से नामांकन प्रमाणपत्र (यदि पहले से पढ़ रहा है) • पासपोर्ट साइज फोटो • बैंक खाता विवरण (Bank Passbook Copy)	1.जिला स्तर पर: जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से। 2.राज्य स्तर पर: राज्य समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निगरानी। ३.विद्यालय स्तर पर: मान्यता प्राप्त विशेष विद्यालय योजना का क्रियान्वयन करते हैं।

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
कॉल सेंटर - आधुनिक सुविधा युक्त कंप्यूटरकृत कॉल सेंटर सहायता संचालित यह कॉल सेंटर मुख्य रूप से अत्याचार निवारण अधिनयम के अंतर्गत त्वरित सहायता हेतु बनाया गया जो शिकयतों को प्राप्त करते सम्बंधित पदाधिकरियों को प्रेषित करता है इसका no. (18003456345) है	1. आवेदक भारत का नागरिक हो। 2. आवेदक SC या ST वर्ग का होना चाहिए (जाति प्रमाणपत्र आवश्यक)। 3. आयु सीमा – सामान्यतः 18 से 35 वर्ष (कभी-कभी 18 से 40 वर्ष तक)। 4. न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास (कॉल सेंटर हेतु बेसिक कंप्यूटर व इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी)। 5. आवेदक बेरोजगार हो या कॉल सेंटर खोलने का इच्छुक हो।	• आवेदन पत्र (Online/Offline) • जाति प्रमाणपत्र (SC/ST Certificate) • आधार कार्ड • निवास प्रमाणपत्र • आय प्रमाणपत्र • शैक्षणिक प्रमाणपत्र (10वीं / 12वीं / कंप्यूटर कोर्स आदि) • पासपोर्ट साइज फोटो (2-3) • बैंक पासबुक की प्रति	1.जिला समाज कल्याण अधिकारी, 2.NSFDC (National Scheduled Castes Finance & Development Corporation) 3.NSTFDC (National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation)

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
सामाजिक जागरूकता अभियान - शराब बंदी /बाल विबाह निषेध अधिनियम / दहेज़ प्रथा निषेध / इत्यादि की एवं किशोर /किशोरियों के समूह का गठन करना एवं बैठकें आयोजित करना	1. आवेदक भारतीय नागरिक हो। 2. आवेदन करने वाला व्यक्ति या संस्था समाज सेवा, जनकल्याण या शिक्षा संबंधी कार्यों में सक्रिय हो। 3. यदि आप संस्था (NGO) हैं - तो • संस्था का पंजीकरण होना चाहिए (Society / Trust / NGO Act के तहत)। • संस्था का कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 4. यदि व्यक्ति आवेदन करता है, तो • 12वीं पास या स्नातक होना सामान्यतः वांछनीय है। • समाज सेवा में रुचि और अनुभव होना चाहिए।	• आवेदन पत्र • आधार कार्ड / पहचान पत्र • निवास प्रमाणपत्र • आय प्रमाणपत्र • शैक्षणिक प्रमाणपत्र • संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र (NGO के लिए) • संस्था का पैन कार्ड / बैंक खाता विवरण • कार्ययोजना (Proposed Activity Plan)	1.जिला समाज कल्याण कार्यालय 2.जिला कार्यक्रम अधिकारी

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
दसरथ मांझी कौशल विकास केंद्र - रोजगार परक शिक्षा हेतु निशुल्क है • सिपेट हाजीपुर - मशीन ओपरेटर • ब्लों मौलिडिंग • एम्. एस. एम् .ई .कोलकाता- सर्टिफिकेट कोंर्स इन रूम ए.सी.एंड होम सप्लायर्स कोंर्स • अररिया एवं कटिहार जिला - डोमेस्टिक डाटा इंट्री कोंर्स	1. आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक: महादलित / अनुसूचित जाति (SC) एवं/या अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय का होना चाहिए। 3. आयु सीमा: आमतः 14 से 18 वर्ष के बीच युवाओं के लिए। 4. शैक्षिक योग्यता: विभिन्न कोर्स के लिए अलग-अलग न्यूनतम आरक्षण है - उदाहरण के लिए 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास।	• निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) • शैक्षिक प्रमाण पत्र (Educational qualification certificate/mark sheet) • आयु प्रमाण पत्र (Age certificate) • आधार कार्ड / पहचान पत्र (Aadhar / ID) • पासपोर्ट साइज फोटो • वेबसाइट:- https://bmvm.bihar.gov.in	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) / प्रखंड कार्यालय 2. जिला कल्याण कार्यालय (District Welfare Office)

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	1. आवेदक को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए। 2. राज्य-निवासी होना चाहिए (बिहार में रहने वाला)। 3. न्यूनतम शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण/शोध हेतु योग्यता हो सकती है (उदाहरण के लिए स्नातक/पदोन्नति/अनुसंधान-योग्यता)। 4. आयु सीमा हो सकती है (युवाओं के लिए) — कौशल-प्रशिक्षण वाले उदाहरण में 15-28 वर्ष, SC/ST के लिए 33 वर्ष तक भी।	• जाति प्रमाण पत्र (ST) • निवासी प्रमाण पत्र (बिहार में) • शिक्षा प्रमाण पत्र (मात्रा, योग्यता) • आयु प्रमाण पत्र • पहचान पत्र (आधार/वैकल्पिक) • यदि शोध/प्रशिक्षण है, तो संबंधित प्रस्ताव, पूर्व अनुभव आदि हो सकते हैं • वेबसाइट:- https://scst-welfare.bih.nic.in	SC & ST Welfare Department,

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
थरहुट क्षेत्र विकास - थारु जनजाति के विकास के लिए विशेष योजना - जैसे मुस्कालय /संपर्क पथ निर्माण /मुर्गी ग्राम /युवा विकास (खेल सामग्री) उप स्वास्थ्य केंद्र /मिनी जल आपूर्ति /सौर उर्जा / छात्राओं के लिए कॉमन रूम /स्टेडियम / छात्रावास /कंप्यूटर प्रयोगशाला ?	1. योजना के लिए उस क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा (उदाहरण के लिए- गाँव/पंचायत/ब्लॉक)। 2. उम्र-सीमा हो सकती है (यदि योजना युवाओं के लिए हो) या लाभार्थी-श्रेणी (व्यक्ति, परिवार, समुदाय) निर्धारित होगी। 3. आर्थिक स्तर, सामाजिक वर्ग (उदाहरण- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग) आदि मानदंड हो सकते हैं। 4. योजना की प्रकृति के अनुरूप शिक्षा, योग्यता, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि की शर्तें हो सकती हैं।	• निवास प्रमाण-पत्र (स्थान-विशेष) • पहचान-प्रमाण (आधार कार्ड, मतदान-कार्ड, राशन-कार्ड आदि) • जाति-प्रमाणपत्र (यदि सामाजिक वर्ग की शर्त हो) • आयु प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण-पत्र, विद्यालय प्रमाण-पत्र आदि) • बैंक खाता विवरण (यदि योजना में भुगतान होना है) • यदि पूर्व लाभ ले चुके हों या कोई अन्य प्रशिक्षण/योग्यता हो, तो उस प्रमाण-पत्र। • आवेदन फॉर्म में मांगे गए अतिरिक्त प्रमाणपत्र जैसे फोटो, साइन	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय में 2.जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम	- अनुसूचित जाति के सदस्यों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना।	1. अनुसूचित जाति /जन जाति का सदस्य हो | 2. जो कोई रोजगार शुरू करना चाहता हो | 3. या पहले से कोई रोजगार कर रहा हो उसे बढ़ाने का प्लान हो 4. शारीरिक मानसिक रूप से फिट हो 5. राज्य का निवासी हो | 6. पहले से लोन डिफ़ॉलडर न हो	• जाति प्रमाण पत्र • आवासीय प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • बैंक अकाउंट • पहचान पत्र • आधार कार्ड • कोई बिजनस प्लान या पहले से चल रहा हो	1.बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम | 2.अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग

योजना	पात्रता / योग्यता	योजना उपलब्ध करने के लिए जरूरी कागज	जिमेवार संस्था या पदाधिकारी
अम्बेदकर फाउंडेशन	1. आवेदक को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से होना चाहिए। 2. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 3. 10वीं परीक्षा में मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक। 4. 12वीं स्तर या उससे ऊपर के लिए योग्य होना।	• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST) • निवास प्रमाण पत्र / राज्य-डोमिसाइल प्रमाण पत्र • आय प्रमाण-पत्र (परिवार की आय दिखाने वाला) • विद्यालय/कॉलेज से शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं आदि) • बैंक खाता विवरण (पहली पन्नी या पासबुक की कॉपी) • आधार कार्ड / पहचान प्रमाणपत्र • यदि लागू हो तो अन्य प्रमाण-पत्र (उदाहरण- विकलांगता प्रमाण, पासिंग अंक, आदि) • वेबसाइट: https://ambedkar-foundation.nic.in	जिला समाज कल्याण कार्यालय (District Welfare Office) या राज्य SC/ST कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति विभाग बिहार द्वारा संचालित योजनायें |

- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोलना और उनका निर्माण करना
- अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान प्रदान करना
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं और समितियों को सहायता देना।
- अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विकास के लिए ऋण प्रदान करना
- अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ
- एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम
- अनुसूचित जनजातियों के लिए गृह निर्माण योजनाएँ
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुदान योजना
- खाद्य आपूर्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान प्रदान करना
- अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना

अनुसूचित जनजाति विभाग बिहार द्वारा संचालित योजनायें |

- अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों और उप-संसाधनों के लिए अनुदान
- अनुसूचित जाति के सदस्यों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना।
- अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका प्रबंधन करना।
- अनुसूचित जातियों की नागरिक अयोग्यता का निवारण तथा बिहार हरिजन (नागरिक उन्मूलन) अधिनियम, बिहार हरिजन (विलंब निवारण अधिनियम) एवं अनुसूचित जातियों से संबंधित अन्य अधिनियमों का प्रशासन।
- अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि का गठन।
- अनुसूचित जातियों के लाभार्थ कार्यरत शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान सहायता।
- अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट गृह निर्माण योजना।
- सभी विभागों के साथ विशेष घटक योजना का अनुश्रवण एवं समन्वय।
- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम का प्रशासनिक नियंत्रण। योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यालय स्तर, जलदाय विभाग स्तर, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड तथा प्रक्षेत्र स्तर पर उप निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर मौलिक अधिकारों तक पहुँच और उनके प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में, हमारा काम पहचान आधारित भेदभाव और हिंसा पर केंद्रित है। हमारा मानना है कि व्यक्तिगत हिंसा और भेदभाव के सभी घटनाएं समाज की संरचनात्मक और कार्यात्मक वास्तिवक्ताओं में निहित है और जब व्यवस्थागत उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्ति / समुदाय बदलाव की अगुआई करते हैं तो संविधान परिवर्तनकारी न्याय का स्थल बन सकता है।

हम ज़मीनी स्तर के विचार क साथ एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाते हैं जहाँ कार्यवाही अनुसन्धान को सूचित करती है और अनुसन्धान कार्यवाही को सूचित करता है। हम कानूनी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और वकालत के माध्यम से न्याय, सम्मान और प्रणालीगत जवाबदेही कायम रखने के उनके प्रयास में समुदाय आधारित संगठनों के साथ-साथ प्रणालीगत और पहचान आधारित हिंसा के पीड़ितों के साथ मिलकर काम करते हैं।

पार्ट III के कार्यालय नई दिल्ली और पटना में हैं। हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.part-three.org पर जाएं।